राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 303

प्रगति

समाचार पत्र

अगस्त 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

रुर्बन मिशन ने बदला लद्दाख संघ शासित प्रदेश का स्वरूप

3 रुर्बन मिशन ने बदला लद्दाख संघ शासित प्रदेश का स्वरूप

विषय-सूची

6
उन्नत भारत अभियान के तहत सहभागी संस्थाओं के समन्वयको के लिए सीएचआरडी ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

7
एफपीओ के मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवीन उपकरणों और भागीदारी के तरीकों का अनुप्रयोग

8
एनएसएपी और पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

10
सीईडी एवं एफआई द्वारा कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

11
सीजीएसडी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जेंडर बजट पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण

12
बायोसैंड और फ़िल्टर प्रौद्योगिकी पर वास्तविक शिक्षण कार्यक्रम

13
एसएयू छत्तीसगढ़ के स्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी की सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

14
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आरईएस इंजीनियरों के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों पर वास्तविक शिक्षण

आप कोविड़ -19 के सुपरस्टार हैं

बहादुर स्वच्छता कर्मचारियों को धन्यवाद

हमारे कूड़े को इकठ्ठा करके और उन्हें पुनः प्रयोज्य में बदल कर हमारे समुदायों, शहरों को साफ़ सुथरा रखने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं।

आपने अपनी निस्वार्थ सेवा से हमें कोविड़ -19 में सुरक्षित रहने में मदद की। आप कोविड़ -19 के सुपरस्टार हैं

रुर्बन मिशन ने बदला लद्दाख संघ शासित प्रदेश का स्वरूप

लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेश का लेह जिला हाल ही के समय में एक बिल्कुल भिन्न कारण के लिए मुखपृष्ठ की ख़बरों में है। लेह से लगभग 8 किमी दूर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) द्वारा 'स्पिटुक क्लस्टर' के रूप में पहचाने जाने वाले ग्राम पंचायतों का एक समूह तेजी से उन सुविधाओं और अवसरों के साथ उभर रहा है जो मूल रूप से शहरी है। जबकि जम्मू-कश्मीर में रुर्बन क्लस्टर का विकास जारी है, लेह के करीबी स्पिटुक क्लस्टर ने सामाजिक-आर्थिक संचालकों को उल्लेखनीय नए स्तर का लाभ दिया है। आर्थिक विकास, पर्यटकों को बढ़ावा और रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्धन के अवसरों की संभावनाओं की पहचान करते हुए अन्य बातों के साथ, समूहों का अभिनिर्धारण किया गया है। लद्दाख के स्पिटुक क्लस्टर में पिछले 2 से 3 वर्षों में जो परियोजनाएँ आई हैं, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अवसंरचना अर्थात् स्मार्ट कक्षाओं के निर्माण से स्थानीय स्कूलों में शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि, पुस्तकालयों का विस्तार करने, और ई-पुस्तकालयों की स्थापना करने के अलावा मनोरंजन पार्क, पहुंच मार्ग, पार्किंग क्षेत्र के विकास, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक पार्क, केंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली शामिल है। नए गोदामों का निर्माण किया गया है जो विशेष रूप से खुबानी जैसी बागवानी फसलों के लिए भंडारगृह और वितरण केंद्र के रूप में काम करते हैं जो लद्दाख के इस क्षेत्र में अनोखे और विपुल है।

2016 में, भारत सरकार के 'रुर्बन मिशन' ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में एक एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना को प्रस्तुत किया। गाँवों के तीन समूहों की पहचान की गई - एक जम्मू में (गोले गुजराल); दूसरा कश्मीर में (ख़ुमरियाल); और तीसरा नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में (स्पिटुक) । अक्तूबर 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मिशन की गतिविधियों को गति मिली है।

'गाँवों की भावना और शहरों की सुविधाओं' के साथ आगे बढ़ने के लिए ग्रामीण क्लस्टरों को उत्प्रेरक हस्तक्षेप प्रदान करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है जैसे कि लद्दाख में पूरा हो रहा है जिसने मूल रूप से वास्तविकता में प्रदर्शित किया है।

स्पिटुक क्लस्टर समुद्र स्तर से लगभग 3,500 मीटर ऊपर हरित भूभाग के घने हिस्से में एक ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। इसमें तीन ग्राम पंचायतें शामिल हैं अर्थात् चोगलामासर-I एवं II, और स्पितुक जो क्लस्टर में मुख्य गांव है। स्पितुक क्लस्टर की जनसंख्या 12,973 है (जनगणना, 2011)।

स्पिटुक क्लस्टर में तैयार किए गए क्लस्टर कार्य योजना को लागू करने के लिए रु. 64.92 करोड़ अनुमोदित किए गए। 32.23 करोड़ रुपये का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, और बाकी प्रगति पर है।

स्पिटुक क्लस्टर के लिए रुर्बन मिशन को बढ़ाने के अवधान से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह आज सबसे तेज़ी से रुर्बनीकरण क्षेत्रों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में, पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ, स्पिटुक क्लस्टर लद्दाख में विविध आजीविका और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक योजना और आधारभूत संरचना के विकास के लिए नियत है। ये सभी जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व निवासियों में सामूहिक आशावाद और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए एक आधार स्थापित कर रहे हैं। जो परियोजनाएं पहले ही आ चुकी हैं (और उनमें से कुछ प्रक्रियाधीन) हैं:

चोगलामसर, स्पिटुक क्लस्टर, लेह में भूमि विकास, पहुंच पुल और पार्किंग क्षेत्र कार्य

- स्ट्रीट लाइट्स: वन बाग, चोगलमसर से लेकर एंगलिंग टी-पॉइंट और बुल फार्म से लेकर एमईएस पावरहाउस तक हाई-मास्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें दी गई हैं। इसे 2020 के अंत तक पूरे स्पिटुक क्लस्टर के सभी प्रमुख जंक्शनों और छोटे गांवों तक बढ़ाया जाएगा।

- सड़क संपर्क: कई सड़क परियोजनाओं की पहचान की गई है ताकि बाज़ार और शहरी केंद्रों से संपर्क को सक्षम किया जा सके। 1.20 करोड़ रुपये की लागत वाली इस तरह की छह महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

- स्मार्ट कक्षाएं और ई-पुस्तकालय: बच्चों की वर्तमान पीढ़ी को ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि पुरानी हैं। इसलिए, स्पिटुक लदुमरा और ताशी थोंग्समोन, चोगलामसर के स्कूलों में 111.24 लाख रुपये की कुल लागत के साथ आईसीटी सक्षम स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं।

- बाग विकास: लद्दाख अनोखे खुबानी फलों के लिए जाना जाता है, और यह इस क्षेत्र का लगभग पर्यायवाची है। मिशन ने बाग विकास में छिपी अत्यधिक अप्रयुक्त आर्थिक संभावनाओं की पहचान की। वाणिज्यिक वादे को पूरा करने और इसके आसपास स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बाग खेतों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मिशन 1.20 लाख रुपये की लागत से 10 इकाइयों को आवश्यक सक्षमता प्रदान करता है। इसमें सरकार की ओर से 50 फीसदी सब्सिडी / प्रोत्साहन शामिल है।

- पर्यटन संवर्धन: चोगलमसर में लगभग 6.30 करोड़ रुपये की लागत से रुर्बन मिशन के तहत क्लस्टर में एक मनोरंजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस पार्क में टॉय ट्रेन, ड्रैगन रोलर कोस्टर, स्ट्राइकिंग कार / बम्पर कार, रॉक-क्लाइम्बिंग वॉल आदि होंगे। भूमि विकास और पहुँच पुल का काम आंशिक रूप से पूरा हो गया है, और आगे के कार्य प्रगति पर हैं।

- बाल-उद्यान: 15 लाख रुपये की लागत से चोगलामसर के ताशी गत्सल में बाल-उद्यान का निर्माण किया गया है। यह पार्क क्षेत्र के बच्चों की पहले से ही पसंदीदा जगह है।

- सामुदायिक भवन: स्पिटुक गांव में 64 लाख रुपये की लागत से एक बहुउद्देशीय मॉडल के सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी हैं।

- राशन की दुकान: चोगलामसर गाँव में राशन के भंडार बहुत ही पुराने और क्षतिग्रस्त इमारत में कई वर्षों तक संग्रहीत किए जाते थे। 17 लाख रुपये की लागत से दुकान को पुनर्निर्मित किया गया है।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: चोगलामसर, लद्दाख में पहली बार ठोस संसाधन प्रबंधन केंद्र (एसआरएमसी) दिसंबर 2017 में कार्यात्मक हुआ। घर-घर अपशिष्ट संग्रहण नियमित आधार पर होता है; और संगृहित अपशिष्ट को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। चोगलामसर एसआरएमसी की सफलता ने लेह के नुब्रा, खलत्सी, निमो, पैंगॉन्ग और चुचोटी जैसे स्थानों में प्रतिकृति को प्रेरित किया है।

लेह के स्पिटुक क्लस्टर, स्पिटुक गांव में बनाया गया सामुदायिक भवन

ये केवल जम्मू-कश्मीर में परिवर्तन के संकेत हैं, और नवगठित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के पहलों की अधिकता आगामी वर्षों में है। इस प्रकार, रुर्बनीकरण के मार्ग पर क्लस्टरों को बढ़ाते हुए रुर्बन मिशन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अपनी पहचान बना रहा है।

फरवरी, 2016 में शुरू होने के बाद से, मिशन ने देश के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 300 रुर्बन क्लस्टर व्यवस्थित रूप से बनाए हैं। इन समूहों के विकास के लिए 27,500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश को मंजूरी दी गई है, और लगभग 8,772 करोड़ रुपये (लगभग 32 प्रतिशत) का निवेश किया गया है, जो स्थानीय आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में उभरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को प्रकट करता है।

'गाँवों की भावना और शहरों की सुविधाओं' के साथ आगे बढ़ने के लिए ग्रामीण क्लस्टरों को उत्प्रेरक हस्तक्षेप प्रदान करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है जैसा कि लद्दाख में पूरा हो रहा है जिसे मूल रूप से वास्तविकता में प्रदर्शित किया है। समूहों को बेहतर शहरी लाभ हो रहा है जैसे कि- आधारभूत संरचना, बेहतर संपर्क, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, पर्यटक सुविधाएं, कौशल प्रशिक्षण और बेहतर आर्थिक गतिविधियाँ।

रूर्बन मिशन, जैसे कि कल्पना की गई, कार्य में अभिसरण का प्रदर्शन कर रही है। नए भारत का सपना लद्दाख में पूरा हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति निरंतर बनी रहेगी और दूसरी ओर आज रुर्बन मिशन 296 ऐसे क्लस्टरों के साथ देश के अन्य भागों काम करेगा।

डॉ. आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
ग्रामीण अवसंरचना केंद्र
एनआईआरडीपीआर
आवरण पृष्ठ की रचना : **वी जी भट्ट**

जोखिम पूरक निधिकरण: आईसीएपी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागत को पूरा करने हेतु क्लस्टर और स्रोतों के विकास के लिए अनुमानित संसाधन योजना प्रदान करता है। आईसीएपी में एक या एक से अधिक घटकों को सरकार की किसी भी योजना में शामिल नहीं किए जाने पर, ऐसे मदों को रुर्बन मिशन से निधिकरण के जरिए शामिल किया जाता है जिसे जोखिम पूरक निधिकरण (सीजीएफ) कहा जाता है। यह अतिरिक्त धन सहायता परियोजना की लागत का 30 प्रतिशत या प्रति क्लस्टर 30 करोड़ रुपये तक है, जो भी समतल क्षेत्रों के लिए कम है और मरुस्थलीय, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में परियोजना लागत का प्रति क्लस्टर 15 करोड़ रुपये या 30 प्रतिशत है। ऐसे रुर्बन क्लस्टरों को आगे बढाने के लिए यह अनन्य विशेषताओं में से एक है।

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) : श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) की परिकल्पना "स्वरुप में मूल रूप से शहरी मानी जानेवाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना, गांवों के क्लस्टरों को विकसित करना है जो समानता और समावेश पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण समुदाय के जीवन के तत्त्व को बनाये रखते और परिपोषित करते हैं, इस प्रकार रुर्बन गांवों के क्लस्टर बनते हैं।" एसपीएमआरएम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने का प्रयास है। मिशन आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिससे देश में सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है।

एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) क्लस्टर की आवश्यकता रूप-रेखा बनाते हुए आधारभूत अध्ययनों को शामिल करने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए और इसकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेप है। राज्य सरकारें एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) तैयार करेंगी, जो एक परामर्शी तरीके से क्लस्टर की विकास आकांक्षाओं को पूरा करेगी और राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के एक भाग के रूप में परिकल्पित किए जा रहे हस्तक्षेपों, अभिसरित की जा रही योजनाओं, कार्यान्वयन ढांचा और राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप क्लस्टर में अपेक्षित परिणामों का विस्तार करेगी।

उन्नत भारत अभियान के तहत सहभागी संस्थाओं के समन्वयक के लिए सीएचआरडी ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

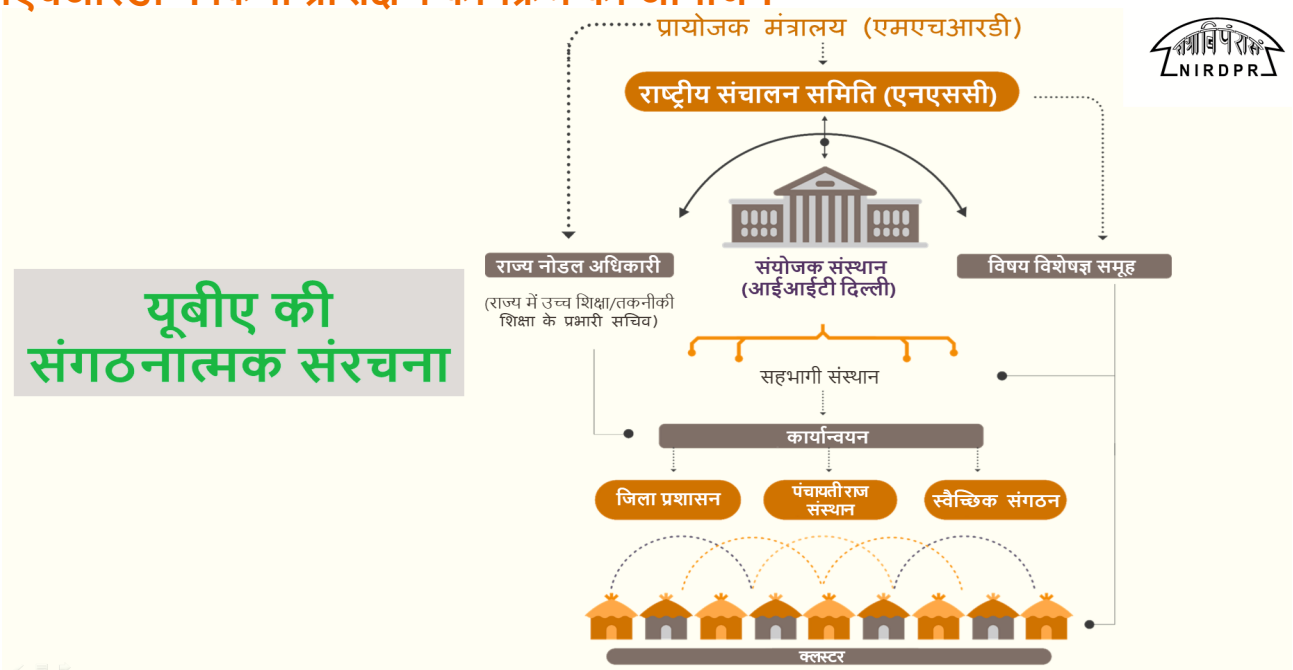

उन्नत भारत अभियान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति का एक स्लाइड

मानव संसाधन विकास केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से 17-18 अगस्त, 2020 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उन्नत भारत अभियान के तहत भाग लेने वाले संस्थानों के समन्वयकों के लिए 'तेलंगाना क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण और प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम' पर एक राज्य-स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

देश में कोविड़-19 महामारी के कारण, इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) प्रतिभागियों को यूबीए और उसके ढांचे के बारे में उन्मुख करना, (ii) प्रतिभागियों को ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए स्थितिजन्य विश्लेषण और भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) के उपकरणों और तकनीकों के बारे में सूचित करना, (iii) स्थायी विकास मॉडल तैयार करने के लिए सशर्त और शर्त-रहित निधियों का उपयोग करने की कार्यनीतियों को समझाना, और (iv) कोविड़-19 के बाद अंगीकृत गावों में अनुसरण की जाने वाली कार्यनीतियों को स्पष्ट करना।

कुल मिलाकर, तेलंगाना के 14 प्रतिभागी संस्थानों के ३७ संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्नत भारत अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक और पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. लखन सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और पाठ्यक्रम संरचना / रूपरेखा को प्रस्तुत किया। उन्होंने उन्नत भारत अभियान का संक्षिप्त विवरण भी दिया और ग्रामीण भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा की।

आईआईटी-नई दिल्ली से प्रोफेसर विवेक कुमार, उन्नत भारत अभियान के सह-समन्वयक ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के मिशन और परिकल्पना पर प्रकाश डाला और चयनित राज्यों के सफल मामला अध्ययनों का उपयोग करके उन्नत भारत अभियान के कुछ चुनिंदा मॉडलों पर एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी। प्रस्तुति से पता चला कि जहाँ भी संकाय सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई और ग्रामीणों का विश्वास हासिल किया, उन गाँवों ने प्रशंसनीय काम किया और पूरे देश के लिए आदर्श गाँव बनकर उभरे।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), यूबीए प्रस्तावों का विकास, कार्य की प्राथमिकता के लिए स्थितिजन्य विश्लेषण का उपयोग, ग्राम पंचायत निधियों का कार्यान्वयन और कोविड़-19 महामारी के कारण लौटे हुए प्रवासियों को आजीविका प्रदान करने की रणनीतियों का उपयोग करके कार्यक्रम की विषय सूची में यूबीए चरण 20., यूबीए वेब-पोर्टल का प्रदर्शन, ग्राम विकास योजना की तैयारी पर विवरण शामिल किया गया।

सत्रों का संचालन एनआईआरडीपीआर के डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई, डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, डॉ. वानिश्री जोसेफ, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगईं, एसआर शंकरन चेयर ने किया।

तकनीकी सत्रों के अलावा, प्रतिभागियों की मांग पर, तीन सहभागी संस्थानों, अर्थात् हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद और विष्णु इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को उन्नत भारत अभियान के साथ उनकी यात्रा और उनके क्षेत्र अनुभवों को प्रतिभागियों के साथ साझा करने के लिए कहा गया था। यह सत्र बहुत उपयोगी था क्योंकि प्रतिभागियों ने अन्य प्रतिभागी संस्थानों के अनुभव की जानकारी प्राप्त की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों को कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। प्रतिपुष्टि से यह पता चला कि 19 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम के कारण उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन की सूचना दी।

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र और डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण अवसंरचना केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया गया।

एफपीओ के मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवीन उपकरणों और भागीदारी तरीकों का अनुप्रयोग

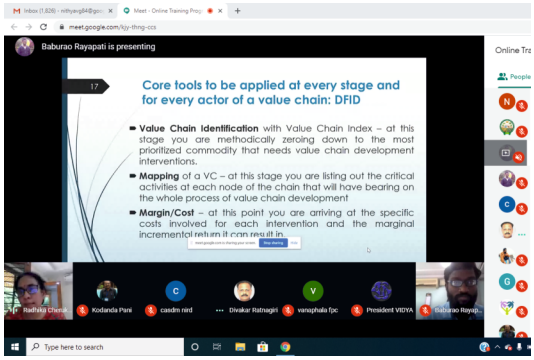

प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक प्रस्तुति

देश में पंजीकृत अधिकांश किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) व्यवसाय योजना की तैयारी में जुटे हुए हैं ताकि उनका पंजीकरण हो सके । अनुदान देने वाली एजेंसी की संतुष्टि के अनुसार व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए एक लागत लेखाकार को काम पर रखने की पारंपरिक प्रथा ने जमीन पर अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं क्योंकि एफपीओ के बीओडी सदस्यों जैसे प्राथमिक हितधारकों को योजना की सामग्री के बारे में न तो पता है और न ही उनके पास समय-समय पर क्षेत्र-स्तर पर व्यवसाय योजना की वास्तविक व्याख्या करने की क्षमता है।

एक कार्यात्मक व्यवसाय योजना को मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एफपीओ को निर्देशित करने वाले क्षेत्र-स्तरीय वास्तविकताओं और वास्तविक क्षमताओं को एकीकृत करना चाहिए, जिसके साथ एफपीओ की स्थापना की गई थी।

इस संदर्भ में, कृषि अध्ययन केन्द्र (सीएएस), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने एफपीओ में से प्रत्येक के लिए मूल्य श्रृंखला सूचकांक (वीसीआई) को मापने के लिए एक अनूठा उपकरण विकसित किया है। यह सूचकांक एफपीओ को फसलों का चयन और फसल स्पेक्ट्रम के पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के चरणों में उच्चतम वीसीआई के साथ फसल गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। 27 - 31 जुलाई, 2020 के दौरान आयोजित 'मूल्य श्रृंखला और एफपीओ का व्यवसाय विकास' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वीसीआई उपकरण लागू किया गया था। कार्यक्रम के प्रतिभागी अपने एफपीओ के संबंध में बेसलाइन डेटा के साथ तैयार होकर आये और प्रशिक्षण

ग्रीन बर्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का विवरण नीचे दिया गया है:

ग्रीन बर्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (सीआईएन: U01100AP2019PTC112936)					
मक्का फसल के लिए मूल्य श्रृंखला सूचकांक					
क्र.सं.	मापदण्ड	रेटिंग	भार	रेटिंग	उत्पाद सूची
1	फसल के तहत क्षेत्र	1- 100 एकड़ से कम	10	2	6.67
		2- 100-500 एकड			
		3- 500 एकड से अधिक			
2	उपज	3- 20 क्यू से कम/ एकड़	10	2	6.67
		2- 20-30 क्यू / एकड 1-			
		1- 30 क्यू से अधिक/ एकड़			
3	प्राथमिक उत्पादकों की संख्या	1- 100 एकड़ से कम	10	2	6.67
		2- 100-500 एकड			
		3- 500 एकड से अधिक			
4	निवेश उपलब्धता	3-सरकार द्वारा आपूर्ति की गई	10	2	6.67
		2-किसान के पास उपलब्ध			
		1- बाजार में उपलब्ध			
5	बिक्री की ग्रेडिंग और प्रसंस्करण की स्थिति	3- कोई प्रसंस्करण और ग्रेडिंग नहीं	10	2	6.67
		2- न्यूनतम प्रसंस्करण			
		1-उन्नत प्रसंस्करण			
6	प्रति एकड़ औसत व्यय	3- 10 कि.मी. से कम	10	2	6.67
		2- 10 कि.मी. से 20 कि.मी.			
		3- 20 कि.मी. से 30 कि.मी			
7	प्रति एकड़ औसत आय	1- रू.10,000 / एकड़ से कम	10	3	10.00
		2- रू.10,000-20,000			
		3- 20,000 रुपये से अधिक			
8	विपणन के स्त्रोत	1- गाँव में बिक्री	10	3	10.00
		2- सरकारी खरीद			
		3- स्थापित व्यापारी नेटवर्क			
9	भंडारण सुविधा/ परिवहन की उपलब्धता	1- 10 किमी से नीचे उपलब्ध	10	3	10.00
		2- 10-20 के बीच में उपलब्ध			
		3- 20 किमी से अधिक में उपलब्ध			
10	खराब होने वाली	1- शीघ्र खराब होने वाली	10	3	10.00
		2- मध्यम खराब होने वाली			
		3- कम खराब होने वाली			
	100		100		80

कार्यक्रम में वीसीआई उपकरण लागू किया गया था। कार्यक्रम के प्रतिभागी अपने एफपीओ के संबंध में बेसलाइन डेटा के साथ तैयार होकर आये और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वीसीआई पर काम किया। ये प्रतिभागी एफपीओ को बढ़ावा देने वाले एनजीओ के थे और आंध्र प्रदेश के पांच जिलों अर्थात् विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी तथा विशाखापत्तनम जिलों को कवर करने वाले नाबार्ड के आरएसए जोन 1 के तहत आने वाले एफपीओ के सीईओ थे। ओडीके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेस लाइन डेटा एकत्र करने के लिए सीएएस टीम द्वारा उन्हें पहले से प्रशिक्षित किया गया था। एफपीसी अधिनियम के अनुसार खातों की तैयारी और वित्तीय विवरणों पर विशेषज्ञ सत्रों द्वारा वीसीआई की तैयारी की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने एक्सेल शीट पर इन वित्तीय विवरणों पर काम किया और प्रस्तुत किया। वित्तीय विवरणों पर काम करने के बाद, प्रतिभागियों को कुछ वित्तीय अनुपातों पर पूरी तरह से वैचारिक जानकारी दी गई। वे अपने वित्तीय विवरणों के लिए वित्तीय अनुपातों की गणना करने में सक्षम थे और वित्तीय अनुपातों की व्याख्या करने की तकनीक सीखी।

प्रासंगिक सत्र से संबंधित पूर्व-पठन सामग्री को प्रत्येक सत्र के लिए पहले से परिचालित किया गया था। सत्र शुरू होने से पहले एक सरल बहु-विकल्प कौशल परीक्षण आयोजित किया गया और सीखने के स्तर का पता लगाने के लिए सत्र के अंत में चर्चा की गई। पांच दिवसीय कार्यात्मक सत्रों में पूर्वाह्न में विशेषज सत्र और मध्याह्न में अभ्यास सत्र शामिल थे। गूगल द्वारा एक प्रतिक्रिया फ़ॉर्म तैयार किया गया था जिसे सभी प्रतिभागियों में उनकी प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए ऑनलाइन में प्रसारित किया गया था।

प्रतिभागियों ने महसूस किया कि पाठ्यक्रम बहुत ही समयानुसार उपयोगी रहा है और उन्हें अपने एफपीओ के लिए व्यावसायिक योजनाएं बनाने में मदद मिली है। एफपीओ के कुछ सीईओ, जिन्होंने पहले से ही अपनी व्यावसायिक योजनाएं तैयार की थीं, इस नई सीख से युक्त होकर आगे समर्थन के लिए उन्हें नाबार्ड को सौंप दिया है। अन्य एफपीओ के प्रशिक्षित सीईओ जल्द ही अंतिम योजना प्रस्तुत करेंगे। डॉ. सीएच. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएएस, एनआईआरडीपीआर, डॉ. नित्या वीजी, सहायक प्रोफेसर, सीएएस, एनआईआरडीपीआर, डॉ. दिवाकर, प्रोजेक्ट लीड, सीएएस, एनआईआरडीपीआर और श्री बाबू राव, अनुसंधान एसोसिएट, सीएएस, एनआईआरडीपीआर ने आंतरिक स्त्रोत व्यक्तियों के रूप में कार्य किया। डॉ. सीएच. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएएस और डॉ. नित्या वी.जी, सहायक प्रोफेसर, सीएएस ने कार्यक्रम का आयोजन किया।

आन्ध्र प्रदेश के लिए एनएसएपी और पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनएसएपी और पीएमएवाई-जी (आंध्र प्रदेश) के सामाजिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयार प्रस्तुति से एक स्लाइड

सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने गूगल मीट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 3-7 अगस्त, 2020 के दौरान 'आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एनएसएपी और पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखापरीक्षा' पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 95 स्त्रोत व्यक्तियों को नामित करने के लिए कहा गया था। नामांकन प्राप्त करने के बाद, 31 जुलाई, 2020 को उन्हें गूगल मीट प्लेटफॉर्म और इसकी विशेषताओं से उन्हें परिचित कराने के लिए एक डेमो सत्र को आयोजित किया गया।

प्रत्येक सत्र की 45 मिनट की अवधि की प्रस्तुति हेतु योजना बनाई गई थी जिसमें 30 मिनट प्रस्तुतीकरण और 15 मिनट चर्चा के लिए निर्धारित किए गए थे। सत्रों में चर्चा किए गए विषयों के आधार पर प्रतिदिन एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य प्रशिक्षण सत्रों पर प्रतिभागियों के ध्यान का स्तर और विषय ज्ञान की जानकारी का परीक्षण करना था।

पहला दिन

सत्र 1: परिचय, विचार मंथन, अपेक्षाएं

डॉ. सी. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डॉ. श्रीनिवास सज्जा और श्री श्रीकांत, निदेशक, एसएयू - आंध्र प्रदेश द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पहले दिन, अर्थात 3 अगस्त, 2020 को विचार मंथन के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। विचार मंथन सत्र के भाग के रूप में बॉक्स ऑफ लाईन खेल खेला गया।

सत्र 2: सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और जमीनी स्तर के मुद्दे -प्रतिभागियों के अनुभव

इस सत्र में, डॉ. श्रीनिवास सज्जा ने सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को समझाया और सामाजिक लेखापरीक्षा में जमीनी स्तर पर उभर रहे मुद्दों पर चर्चा की। जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य 2018-19 तक एनएसएपी का सामाजिक लेखापरीक्षा कर रहा था कुछ प्रतिभागियों ने अन्य योजनाओं के साथ एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन में अपने अनुभवों को साझा किया।

सत्र 3: सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा
इस सत्र में, डॉ. धीरजा ने सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट की अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत और सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों के संस्थागत संरचना को विस्तार से समझाया।

सत्र 4 : सामाजिक लेखापरीक्षा में नवीन विकास
इस सत्र में भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा में हुए नवीन विकास पर चर्चा की गई। डॉ. धीरजा ने सामाजिक लेखापरीक्षा पर एमओआरडी समिति द्वारा की गई सिफारिशों, देश भर में सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति और अन्य राज्य एसएयू द्वारा की गई नई पहल पर चर्चा की। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रभाव, अन्य योजनाओं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा को रद्द कने के मुद्दे और अनुवर्ती कार्य मुद्दे आदि पर भी चर्चा की।

दूसरा दिन
सत्र 1 और 2: पी एम ए वाई-जी दिशानिर्देशों का परिचय
इन सत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना दिशानिर्देशों पर सत्र चलाया गया। पी एम ए वाई-जी, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए बनाया गया एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। पीएमएवाई-जी योजना के तहत, घरों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इन घरों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पेयजल अभिसरण जैसी सुविधाए होगी।

डॉ. श्रीनिवास सज्जा ने पात्रता मानदंड, इकाई सहायता, लाभार्थी का चयन, एस ईसीसी डेटा और इसके महत्व एवं अवास सॉफ़्ट, आदि के साथ दिशानिर्देशों को समझाया।

सत्र 3 और 4: पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन चुनौतियां
सत्र 3 और 4 में, आवास और शहरी विकास निगम, आन्ध्र प्रदेश सरकार के श्री सुब्बा राव द्वारा पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने मकानों के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता, वित्तीय सहायता, बुनियादी सुविधाएं, नई तकनीकों को अपनाने और बैंक से वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर बात की।

तीसरा दिन
सत्र 1 और 2: पीएमएवाई-जी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
इन सत्रों में, डॉ. श्रीनिवास सज्जन ने पीएमएवाई-जी सामाजिक लेखापरीक्षा के दिशानिर्देशों पर चर्चा की। योजना के सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य पीएमएवाई-जी कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया सामाजिक लेखापरीक्षा अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी को जोड़ती है। प्रशिक्षकों ने सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र, पीएमएवाई-जी में सामाजिक लेखापरीक्षा के आवधिकता और कवरेज एवं प्रक्रिया को समझाया।

सत्र 3 और 4: पीएमएवाई-जी के टीओटी के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा का अनुभव
इन सत्रों में, प्रशिक्षक ने पांच राज्यों में पीएमएवाई-जी के टीओटी कार्यक्रमों के दौरान किए गए अग्रगामी सामाजिक लेखापरीक्षा के अनुभवों को साझा किया।

दिन 4
सत्र 1 और 2: एनएसएपी दिशानिर्देशों का परिचय
इन सत्रों में, डॉ. श्रीनिवास सज्जा ने एनएसएपी के इतिहास के साथ-साथ एनएसएपी के दिशानिर्देश, पात्रता मानदंड, केंद्रीय सहायता और एमआईएस के मानदंड आदि के बारे में बताया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देती है।

राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम में पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं:
1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्लयु पीएस)
3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)
4) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)
5) अन्नपूर्णा योजना

सत्र 3 और 4: राज्य योजनाएँ और एनएसएपी की कार्यान्वयन चुनौतियाँ
आंध्र प्रदेश सरकार ने 'नवरत्नालु' 'की घोषणा की जिसमें कई कल्याण और विकास कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ राज्य पेंशन योजनाओं में वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, ताड़ी निकालने वाले, बुनकरों, एकल महिला मछुआरों आदि को कवर किया गया हैं।

समाज कल्याण विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के उमामहेश्वरी ने आन्ध्र प्रदेश सरकार की विभिन्न सामाजिक-सुरक्षा पेंशन योजनाओं, ए.पी. पात्रता मानदंड, सहायता के पैमाने और कार्यान्वयन चुनौतियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

दिन 5
सत्र 1 और 2 : एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
इन सत्रों को एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों पर प्रतिभागियों में जागरूकता पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। डॉ. श्रीनिवास सज्जा ने एनएसएपी में सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य, प्रशासनिक संरचना, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए निधि, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में बताया।

सत्र 3 और 4: एनएसएपी कार्यक्रम के अग्रगामी लेखापरीक्षा
डॉ. श्रीनिवास सज्जा और डॉ. धीरजा ने तमिलनाडु, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में किए गए एनएसएपी अग्रगामी सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की । कुछ प्रतिभागियों ने अपने 2012 से 2018 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा करते समय हुए अनुभव और चुनौतियों को साझा किया ।

कार्यक्रम का मूल्यांकन
प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद, कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान, प्रतिभागियों ने वक्ताओं, पाठ्यक्रम विषय, व्यावहारिक अभिविन्यास और पाठ्यक्रम सामग्री, आदि पर प्रतिक्रिया दी ।

सीईडी एवं एफआई द्वारा कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयुक्त कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण का एक चित्रण

उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय समावेशन केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 12-14 अगस्त, 2020 के दौरान कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि मूल्य श्रृंखला को वित्त पोषण करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान दिया गया।

वित्तीय क्षति के कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वर्तमान स्थिति में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है। अब, किसान अपने बच्चों को किसान या खेती से जुड़ा कोई काम नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उस क्षेत्र में कोई भविष्य नहीं है। इसलिए, कृषि वित्तीय श्रृंखला में गिरावट आयी है। यह कहा जाता है कि किसान हमारे राष्ट्र का आधार हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर नहीं है। स्थिति को बोलते हुए, डॉ. एम. श्रीकांत ने कृषि व्यवसाय परियोजनाओं के ऋण मूल्यांकन और किस प्रकार कृषि मूल्य श्रृंखला किसानों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाती है पर प्रकाश डाला।

उन्होंने यथार्थवादी अनुमानों, निशुल्क नकद उपलब्धि, अनुपात विश्लेषण (तरलता, लाभ, कवरेज, लाभप्रदता और कारोबार अनुपात), लाभ-अलाभ स्थिति, एनपीवी/बीसीआर/ आईआरआर, संवेदनशीलता विश्लेषण, डीएससीआर/ आईसीआर, परियोजना की कुल लागत और स्वीकार्यता, प्रवर्तकों का योगदान की तुलना में निवल मूल्य (पूंजी अनुदान आधारित परियोजनाएं), बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता, पूर्व-संचालन खर्च/ आकस्मिकता के लिए प्रावधान और वित्तीय मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए लागत में वृद्धि/ समय से अधिक (बोब्बा पावर) पर आधारित वित्तीय अनुमान जैसे बिंदुओं को उजागर किया।

कार्यक्रम का विषय

- कृषि मूल्य श्रृंखला - एक अवलोकन
- कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं का ऋण मूल्यांकन
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र - अवसर और चुनौतियाँ
- बागवानी परियोजनाओं का वित्त पोषण- फलों और सब्जियों पर फोकस
- एफपीओ और वित्त तक पहुंच
- डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में अवसर
- कृषि में बीमा और जोखिम प्रबंधन (मामला अध्ययन)
- शीत भंडारण चेन के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला (मामला अध्ययन)

आयोजित सत्रों पर प्रशिक्षुओं के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कार्यक्रम में दैनिक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी (क्विज़) शामिल की गई। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड की आवश्यकता थी जो मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, प्रतिक्रिया और उपस्थिति पर आधारित था। मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी के लिए भारांक (वेटेज) 50 फीसदी, फीडबैक के लिए 25 फीसदी और उपस्थिति के लिए 25 फीसदी था।

कुल 9 4 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। अधिकारियों में राज्य नोडल अधिकारी, एसपीएम / डीपीएम, विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य, कृषि व्यवसाय के छात्र, बैंक प्रबंधक, कृषि पेशेवर, कृषि कार्यकारी और मास्टर स्त्रोत व्यक्ति शामिल थे। ई-प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केवल 42 पात्र थे क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

डॉ. एम. श्रीकांत, पाठ्यक्रम निदेशक ने समापण भाषण प्रस्तुत किया और डॉ. एम. श्रीकांत के साथ डॉ. पी.पी. साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडीएफआई, एनआईआरडीपीआर ने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सवालों और मुद्दों का जवाब दिया। प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार यह कार्यक्रम सफल रहा।

डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीईडीएफआई और डॉ. पी.पी. साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडीएफआई ने श्री चंदन कुमार, अनुसंधान सहायक की सहायता से कार्यक्रम का संयोजन किया।

सीजीएसडी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण

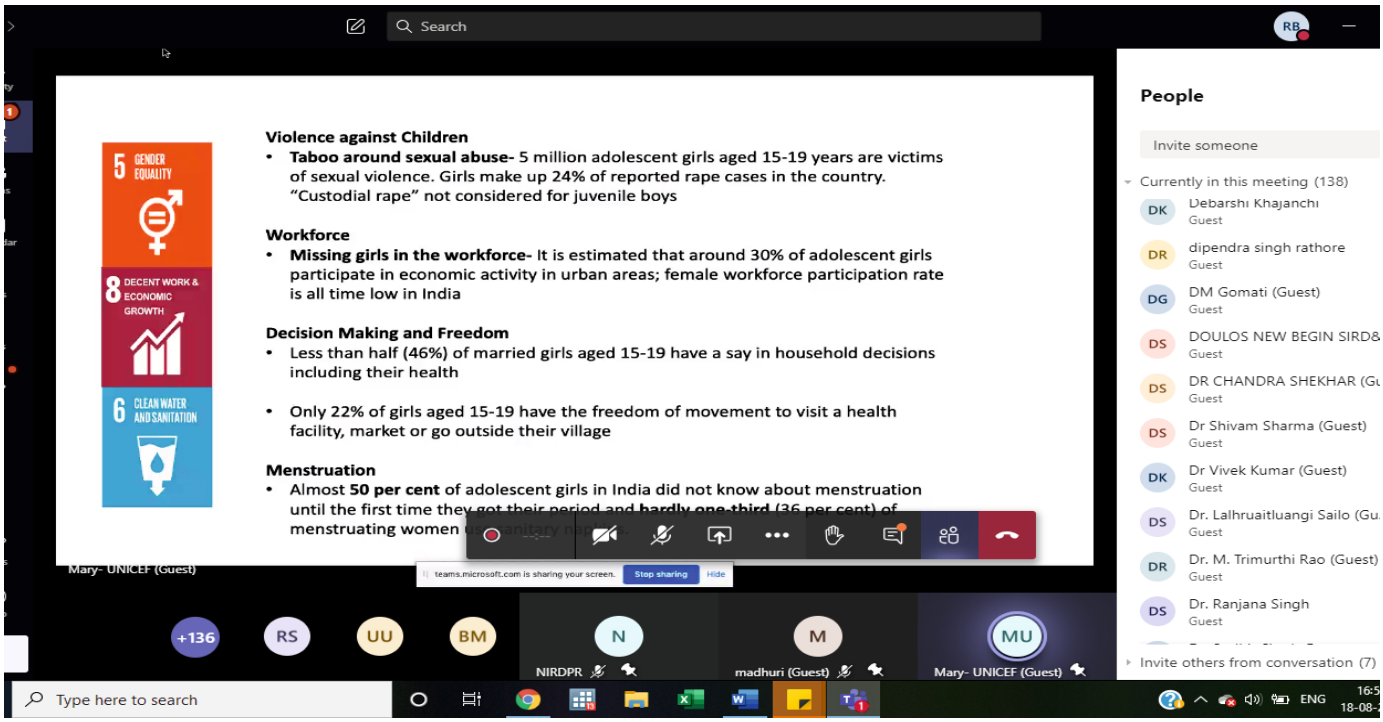

जेंडर बजटिंग के लिए टूल्स पर प्रस्तुति से एक स्लाइड

जेंडर समानता मूल रूप से सतत विकास से संबंधित है और विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार की जाती है। स्थानीय सरकार के संदर्भ में, जेंडर समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सभ्य काम के अवसरों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शासन के सभी आयामों में जेंडर के व्यावहारिक एकीकरण के लिए जेंडर बजटिंग जैसे टूल्स की समझ की आवश्यकता होती है।

साक्ष्य बताते हैं कि संसाधनों तक उनकी पहुंच में जेंडर असमानताएं समग्र विकास में निम्न निष्पादनों के कारणों में से एक हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शोध यह भी बताते हैं कि ग्रामीण विकास में जेंडर मुख्यधारा से जोडने से, स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने जेंडर को मुख्यधारा से जोडने अर्थात जेंडर बजटिंग के लिए टूल्स पर एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पांच दिनों में तीन प्रमुख प्रशिक्षण / सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, अर्थात पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रतिभागी निम्न को समझेंगे

i. जेंडर की अवधारणा को परिभाषित करना और जेंडर और लिंग का अंतर समझना
ii. कार्यक्रम-डिजाइन और कार्यान्वयन में जेंडर -मुद्दों की पहचान करना
iii. जेंडर -संवेदनशील बजट तैयार करना।

18 अगस्त, 2020 यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें 190 प्रतिभागी शामिल हुए जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवा के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी, एसआईआरडी के संकाय और डब्लयु सीडी विभाग और निचले स्तर के एनजीओ थे। भारत के लगभग सभी राज्यों और अंडमान - निकोबार द्वीप समूह से प्रतिभागी शामिल हुए।

सत्र की शुरुआत विकास में जेंडर की अवधारणाओं के साथ हुई। सुश्री मैरी थॉमस, यूनिसेफ विशेषज्ञ ने बाल अधिकारों में जेंडर पर एक सत्र का संचालन किया। 19 अगस्त को अधिक मूल मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया जिसमें डॉ. वनिश्री ने जेंडर - जरूरतों की अवधारणाओं को बताया और डॉ. एन.वी. माधुरी ने सहभागी पद्धति में शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर पर चर्चा की।

20 अगस्त को श्रीमती के. सुरेखा ने कमजोरियों और जेंडर को मुख्यधारा से जोडना एवं सीमांतीकरण पर एक विस्तृत सत्र का संचालन किया । सीवीसी, एनआईआरडीपीआर की मदद और सुश्री अपर्णा सीपीएमई की आवाज के साथ सीजीएसडी द्वारा तैयार किए गए एक एनीमेशन को एक प्रकाशित कार्टून स्ट्रिप (एम्मास कॉमिक) को इस दिन प्रसारित किया गया, जिसमें महिलाओं के प्रजनन बोझ के बारे में प्रतिभागी बहुत उत्साहित थे। 21 अगस्त को, सुश्री हिल्डा ग्रेस ने तकनीकी जेंडर बजट्रिंग सत्र का संचालन किया।

डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, सीजीएसडी और डॉ. एन.वी. माधुरी, अध्यक्ष (प्रभारी), सीजीएसडी द्वारा श्री प्रवीण, सीआईसीटी एवं श्री साजिद, सीजीएसडी, एनआईआरडीपीआर के तकनीकी सहयोग से पाठ्यक्रम का संयोजन किया गया। अधिकांश प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय भाषाओं में समान क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। कुल मिलाकर, कार्यक्रम को 87 प्रतिशत प्रभावशीलता का फीडबैक स्कोर प्राप्त हुआ।

बायोसैंड फ़िल्टर टेक्नोलॉजी पर वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम

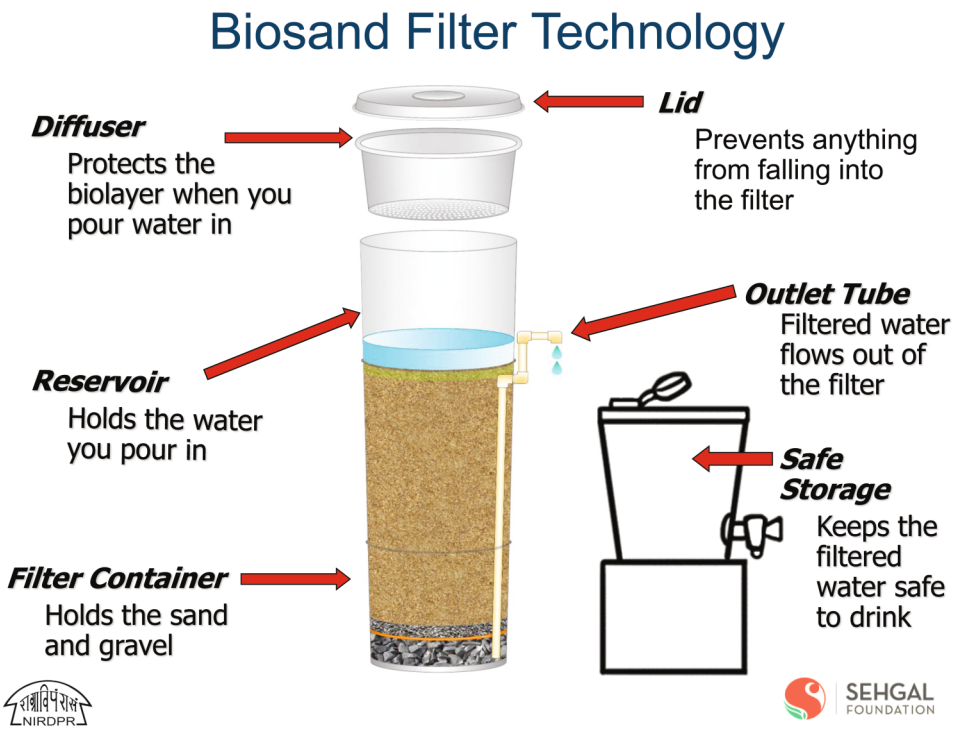

एक बायोसैंड फ़िल्टर और एक मॉडल बायोसैंड फ़िल्टर में मुख्य घटक

सहगल फाउंडेशन के पानी और अपशिष्ट जल संसाधन केंद्र की साझेदारी में अभिनव एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल एवं कार्य केन्द्र (सीआईएटी एवं एसजे), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 25 - 27 अगस्त, 2020 तक बायोसैंड फिल्टर टेक्नोलॉजी पर तीन दिवसीय वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम का आयोजन किया जो अपने तरह की पहली पहल है, वेबसाइट के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए गए थे और 223 से अधिक प्रविष्टियां पंजीकृत की गई थी।

कार्यक्रम का उद्देश्य बायोसैंड फिल्टर पर जागरूकता पैदा करना था, जो घरेलू स्तर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने व्यावहारिक और सतत विकल्प होने के साथ-साथ डब्लयु एसएच परियोजनाओं को लागू करने का एक प्रभावी तरीका है। वर्चुअल बातचीत के माध्यम से, प्रतिभागियों ने पानी की गुणवत्ता की समस्याओं, जल-जनित रोगों, स्वास्थ्य प्रभावों और जल-जनित रोगों के संचरण के चक्र को तोड़ने के साधनों के बारे में सीखा। बाजार में उपलब्ध विभिन्न कम लागत वाली जल निस्पंदन तकनीकों सहित बायोसैंड फ़िल्टर तकनीक पर ध्यान देने के साथ इसके फायदे और नुकसान पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई।

प्रतिभागियों को फिल्टर मीडिया, स्थापना, संचालन और स्टेनलेस फिल्टर तथा बायोसैंड फिल्टर के रखरखाव की तैयारी पर प्रशिक्षित किया गया।

डॉ. एस. रमेश सक्तिवेल, सहायक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी एवं एसजे, एनआईआरडीपीआर ने पहले दिन स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और इसके बाद, श्री ललित मोहन शर्मा, निदेशक, एडाप्टिव टेक्नोलॉजीस और श्री सलाउद्दीन सैफी निदेशक, एसएम सहगल फाउंडेशन से जल प्रबंधन पर भाषण प्रस्तुत किया।

ऑनलाइन सत्र में देश के विभिन्न भाग से सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉरपोरेट्स आदि सहित 58 संगठनों के पेशेवरों, व्यक्तियों और नामांकित प्रतिनिधियों सहित कुल 12 महिला और 72 पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपस्थित लोग 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर।

श्री ललित मोहन शर्मा, निदेशक, अनुकूली प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अपराजिता वैभव और सहगल फाउंडेशन के यशी गौतम द्वारा आयोजित सत्रों में प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इंटरैक्टिव तरीकों, अर्थात चैट बॉक्स क्वेरी और प्रत्येक सत्र के बाद नियमित प्रश्नोत्तर के माध्यम से पावर पाइंट प्रस्तुतियों और लघु वीडियो क्लिपिंग से सत्रों के दौरान अवधारणाओं को विस्तृत किया गया था। प्रतिभागियों ने प्रौद्योगिकी की बहुत सराहना की और उनमें से कई ने स्वच्छ और दूषित मुक्त पेयजल की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए समुदाय के साथ अपनी परियोजनाओं में बायोसैंड फिल्टर तकनीक को अपनाने की इच्छा व्यक्त की।

ग्रामीण समुदाय को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक सरल और व्यवहार्य विकल्प को बढ़ावा देने में एन आईआरडीपीआर और सहगल

एसएयू छत्तीसगढ़ के स्त्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

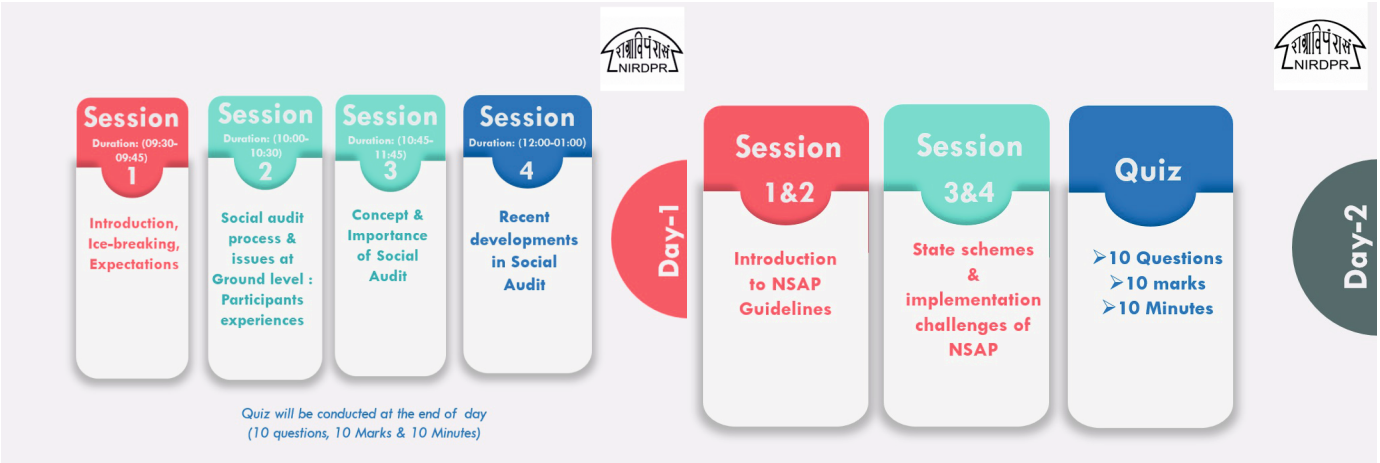

एनएसएपी और पीएमएवाई-जी (छत्तीसगढ़) के सामाजिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति से एक स्लाइड

सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने गूगल मीट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 24 से 28 अगस्त, 2020 तक छत्तीसगढ़ की सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट (एसएयू) से जुड़े स्त्रोत व्यक्तियों के लिए 'एनएसएपी और पीएमएवाई-जी का सामाजिक लेखापरीक्षा विषय पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। । इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट द्वारा नामांकित कुल 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर, 2019 में पीएमएवाई-जी और एनएसएपी के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के संचालन के लिए, एनआईआरडीपीआर को एसएयू से जुड़े स्त्रोत व्यक्तियों का क्षमता निर्माण करना है। इस आदेश को पूरा करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने सभी राज्यों को कवर करते हुए दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक पाँच क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किए। कोविड-19 के कारण, शेष स्त्रोत व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सका। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर ने स्त्रोत व्यक्तियों के लिए एनएसएपी और पीएमएवाई-जी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई।

पांच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 20 सत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक दिन के अंत में, प्रतिभागियों को गूगल फॉर्म में 10 प्रश्नों के साथ एक प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा गया था। हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण सामग्री, प्रस्तुतियों और प्रश्नोत्तरी सवालों की ई-प्रतियां प्रदान की गईं।

कार्यक्रम का उद्घाटन, श्री एम.एम. नाग, अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार और निदेशक (प्रभारी), सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री नाग ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया ने मनरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने में योगदान दिया है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में पीएमएवाई-जी और एनएसएपी योजनाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा के दायरे और महत्व पर प्रकाश डाला।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषयों को कवर किया गया था:

- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर मुद्दे – प्रतिभागियों का अनुभव
- सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा
- सामाजिक लेखापरीक्षा में हाल के घटनाक्रम
- एनएसएपी दिशानिर्देशों का परिचय
- राज्य योजनाएँ और एनएसएपी की कार्यान्वयन चुनौतियाँ
- एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- एनएसएपी के पायलट लेखापरीक्षा के अनुभव
- पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन चुनौतियां
- पीएमएवाई-जी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी पर टीओटी के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा का अनुभव

सभी सत्रों का ओबीएस स्टूडियो सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। पूर्व एवं पश्च - पारस्परिक सत्र और हर सुबह अनिवार्य पुनर्कथन ने कार्यक्रम को अत्यधिक सहभागी बना दिया। प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद, कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन के दौरान, प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम सामग्री, व्यावहारिक अभिविन्यास और पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ भविष्य में अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में इन सीख और कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि ऑनलाइन मंच बेहतर और अधिक सुविधाजनक है। हालांकि, उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, उच्च डेटा का उपयोग, फोन की बैटरी के ड्रेन होने के कारण लगातार चार्जिंग की आवश्यकता आदि जैसे मुद्दे अवरोध पैदा कर रहे थे। उस अनौपचारिक प्रतिक्रिया सत्र के बाद, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। दूसरे बैच के लिए नामित स्त्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षण 14 से 18 सितंबर, 2020 तक आयोजित किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संयोजन डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर और डॉ. सी. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र, एनआईआरडीपीआर ने श्री मोहम्मद आरिफ, सलाहकार और श्री शशिधर, प्रशिक्षण प्रबंधक के सहयोग से किया।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आरईएस इंजीनियर्स के लिए टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियां पर वर्चुअल लर्निंग

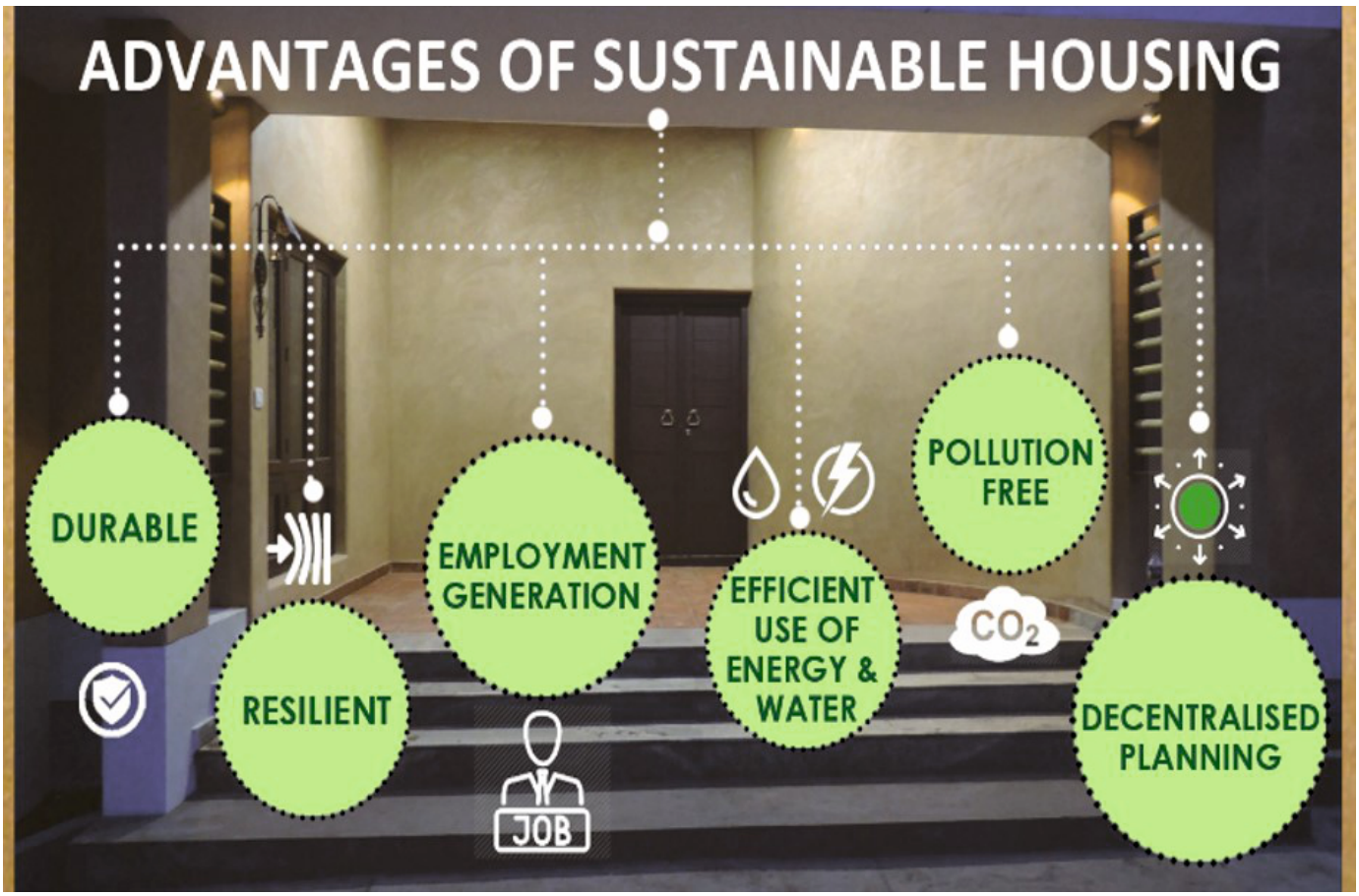

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आरईएस इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्तुति से एक स्लाइड

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, अभिनव एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल एवं कार्य केंद्र (सीआईएटी और एसजे), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने मध्य प्रदेश झाबुआ जिले के आरईएस (ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा) के लिए 'टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकी' पर एक दिवसीय वर्चुअल लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन श्री सिद्धार्थ जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश के अनुरोध पर किया गया था, जिन्होंने कोरोनोवायरस के प्रकोप से पहले आरटीपी का दौरा किया और आरटीपी, एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रचारित स्थायी आवास प्रौद्योगिकियाँ और लागत प्रभावी का उपयोग करके जिले में कुछ भवनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा।

उनकी आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के बाद, ट्रैप बॉन्ड, मिट्टी ब्लॉक बनाना और आर्च काम जैसे उपयुक्त तकनीकों को शामिल करते हुए एक दिवसीय वर्चुअल लर्निंग कार्यक्रम डिजाइन किया गया था।

प्रशिक्षण 31 अगस्त, 2020 को शुरू हुआ, जिसमें झाबुआ जिले के विभिन्न केंद्रों से सीईओ कार्यालय में सीनियर इंजीनियर श्री धीरज अखंड द्वारा शिनाख्त 26 आरईएस इंजीनियरों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली सभी प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों पर प्रायोगिक प्रदर्शन फिल्म पर आधारित एक विस्तृत विवरण थी। पूरे कार्यक्रम को दो सत्रों में विभाजित किया गया था और हिंदी में भी बताया गया।

सभी सत्रों की अध्यक्षता डॉ. एस. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी एवं एसजे और ईआर बी.एन. मणि, परियोजना अभियंता, आरटीपी ने की। बंद होने से पहले, प्रतिभागियों के साथ एक ऑनलाइन प्रतिक्रिया और मूल्यांकन लिंक साझा किया गया था। उपस्थित उन लोगों के लिए एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया गया जिन्होंने 40 प्रतिशत से अधिक स्कोर करके प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। संपूर्ण प्रशिक्षण वीडियो रिकॉर्डिंग लिंक को भी भविष्य के संदर्भ के लिए उपस्थित लोगों के साथ साझा किया गया था।

इन तकनीकों को लागू करने में आरईएस इंजीनियरों ने आश्वासन दिया कि सीखी गई प्रौद्योगिकियों का जिले में भविष्य के विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक भवनों, मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, आदि को सीईओ के अनुमोदन से इन प्रौद्योगिकियों को लागू करने का प्रस्ताव है।

फीडबैक के अनुसार प्रतिभागियों को व्यावहारिक काम के रूप में दिखाए गए वास्तविक प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्य प्रस्तुतियों से प्रतिभागी बहुत संतुष्ट थे।

'कोविड-19' पर विशेषांक के लिए ग्रामीण विकास जर्नल के लिए प्रपत्र आमंत्रित है

प्रकाशन की निर्धारित तिथि: **मार्च 2021**

जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (जेआरडी) अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त त्रैमासिक पत्रिका है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जेआरडी के लिए लेखों की स्वीकृति के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड सामयिकता, ज्ञान में योगदान, स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण, शोध आलेख की अच्छी प्रस्तुति और बेहतर क्रियाविधि है।

जेआरडी में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत प्रत्येक लेख का मूल्यांकन चरण-दर-चरण के आधार पर किया जाता है और शब्द सीमा मानदंड और समानता जांच को मंजूरी देने के बाद ही किसी विषय विशेषज्ञ को सहकर्मी समीक्षा के लिए भेजा जाता है। आंतरिक संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी प्रपत्र की प्रासंगिकता और गुणवत्ता की जांच करने के लिए इन प्रपत्रों का अवलोकन करते हैं और सहकर्मी समीक्षा हेतु सहमति देने के लिए कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता का पालन करते हैं।

जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट कोविड-19 पर एक विशेष अंक प्रकाशित कर रहा है। इस संबंध में, निम्नलिखित विषयों पर प्रश्नपत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में कोविड-19 और आजीविका गतिशीलता
2. कोविड-19 की शर्तें और निपटान तंत्र की अनुकूलन स्थिति
3. कोविड-19 और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति (कुशल और अकुशल)
4. कृषि आपूर्ति श्रृंखला और विपणन पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव
5. मौजूदा योजनाएँ (मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आदि) कैसे आजीविका सहायता प्रदान करने में मदद करती हैं?
6. कोविड-19 और एमएसएमई के लिए सूक्ष्म वित्त
7. कोविड-19 और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण आधारभूत संरचना
8. कोविड-19 और स्थानीय सरकारें / पंचायतें
9. कोविड-19 और कृषि
10. कोविड-19 और संचार

लेखकों को **www.nirdprojms.in** पर घोषणा के साथ पूर्ण कागजात प्रस्तुत करना होगा। लेख जमा करने से पहले, कृपया www.nirdprojms.in पर या पत्रिका के अंतिम पन्नों में **'लेखकों को निर्देश'** का अवलोकन करें।

जेआरडी में प्रस्तुत सभी कागजात, संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा डबल ब्लाइंड पीयर मूल्यांकन के अधीन होते हैं। लेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर, 2020 है**।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन